न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 44 / 2022 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सुरेश कुमार पि. स्व.रामचन्दर नागर जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल

– प्रार्थी

बनाम

1. फूलबाई पत्नि स्व.रामचन्दर नागर जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. प्रहलादसिंह पि.स्व.रामचन्दर नागर जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
3. धरमचन्द पि. स्व.रामचन्दर नागर जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
4. शकुन्तला पत्नि स्व.राधेश्याम पुत्री स्व.रामचन्दर नागर जाति धाकड नि. झटकाल गादिया तहसील झालरापाटन
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – वकील प्रार्थी – श्री हुकुमचन्द कुमावत

वकील अप्रार्थीगण – श्री पूरीलाल राठौड

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से धारा 212 रा. टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की की आराजी ख.नं. 3799 / 1926 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि खातेदार रामचन्दर पि. भेरूलाल धाकड की है। उक्त वादग्रस्त आराजी नामा.सं. 4260 दि. 21.01.2019 को दर्ज होकर पालना न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के आदेश से खाता बंटवारा होकर नाम दर्ज हुई थी। खातेदार रामचन्दर का स्वर्गवास दि. 11.10.2021 को हो गया है। खाते[illegible] पि. भेरूलाल धाकड ने अपने जीवनकाल में दिनांक 30.[illegible] पत्र से प्रार्थी के पक्ष में ख.नं. 1926 रकबा 1 बीघा [illegible] भूमि की प्रार्थी के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:15 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

वसीयत की थी एवं भवानीमण्डी नोटेरी पब्लिक के सामने उपस्थित होकर रूबरू गवाहान प्रकाशचन्द पि. लक्ष्मीनारायण व कमलेश पि. उदयराम के समक्ष तस्दीक करवायी थी। जिस कारण खातेदार रामचन्दर पि. भेरूलाल धाकड की अंतिम इच्छा पत्र अनुसार प्रार्थी को ख.नं. 3799/1926 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित होने की पात्रता प्राप्त है। वसीयतकर्ता मृतक रामचन्दरजी ने वसीयत की जानकारी अपने वारीसान को दी थी एवं अप्रार्थीगण को वसीयत अनुसार अन्य सम्पति सम्पदा प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी के भाई प्रहलादसिंह को उसका छोटा भाई धरमचन्द को मकान सम्पदा के एवज में 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपनी सम्पदा में से मृतक खातेदार ने अधिक दी है। वसीयत के आधार पर ग्राम सुनेल के ख.नं. 1926/1 रकबा 3 बिस्वा जिसका वर्तमान ख.नं. 3799/1926 रकबा 0.0379 हेक्टर है प्रार्थी के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने की पात्रता है। वाद कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के 3 माह पूर्व उत्पन्न हुआ। प्रार्थि का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी की है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण होने तक ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की की आराजी ख.नं. 3799/1926 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि की वर्तमान स्थिति को बनाये रखे एवं अप्रार्थीगण संक्रमण अन्तरण नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ वसीयतनामा दि. 30.10.2018, आधार कार्ड, ग्राम सुनेल की जमाबंदी सं. 2073–76 नकल, जमाबंदी सं. 2069–72 नकल, शोक संदेश पत्रिका की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की ओर से एडवोकेट श्री पूरीलाल राठौड ने वकालातनामा पेश कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि वसीयत की गई भूमि पुश्तैनी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 का भी सहदायिनी के तहत समान हिस्सा है इस कारण वसीयत कानूनन सम्पूर्ण हिस्से 3 बिस्वा तक नहीं हो सकती थी। वसीयत में उसके नैसर्गिक उत्तराधिकारियों को किस कारण से [illegible] कोई विषय वस्तु वर्णित नहीं है। वसीयत के समय पंजीयन अधिकारी [illegible] को किस प्रकार किस दस्तावेज से पहचान किया कोई विवरण नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

67 , 68 व भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 63 सी के तहत आज्ञापक प्रावधान के तहत प्रमाणित साक्षी से सिविल न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं हुई है न ही वसीयत के संबंध में प्राबेट प्रस्तुत हुआ है। वसीयत का स्टाम्प लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। वसीयत कम्प्यूटर से टाईप है व खाली जगह पर हस्तलेख किया हुआ जिसमें वसीयत निष्पादन की तारीख वसीयत को संदिग्ध बनाती है। वसीयत का स्टाम्प दि. 10.08.2018 को लिया गया एवं वसीयत का निष्पादन दि. 30.10.2018 को बताया गया व इस अवधि का वसीयत में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। वसीयत पर कम्प्यूटर से टाईप करने वाला , डिक्टेट कराने वाला तथा हस्तलेख से लिखने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर वसीयत पर नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है एवं अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी की नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब पत्र के साथ RRT 2009(1) Page 685-693 की न्यायिक नजीर पेश की।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, वसीयत पत्र एवं राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की की आराजी ख.नं. 3799/1926 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि खातेदार रामचन्दर पि. भेरूलाल धाकड की है। उक्त भूमि खातेदार को आपसी पारिवारिक बंटवारे के तहत नामा.सं. 4260 दि. 21.01.2019 से प्राप्त हुई है। खातेदार द्वारा दिनांक 30.10.2018 को प्रार्थी के पक्ष में पब्लिक नोटेरी से तस्दीक करवायी। वादग्रस्त आराजी के खातेदारी टाईटल का निश्चय मूल वाद में उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आने के उपरांत विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर गुणवगुण के आधार पर होना है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खातेदारी टाईटल का निश्चय नहीं किया जा सकता है।

आदेश

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण ग्राम सुनेल तहसील सुनेल जिला झालावाड़ राज0 की आराजी ख.नं. 3799/1926 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि के संबंध में उभय पक्षकारान के मध्य विवाद खातेदारी टाईटल का है जिसका निश्चय मूल वाद में तय

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

होना है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार रामचन्दर पि. भेरूलाल धाकड की मृत्यु दिनांक 11.10.2021 को हो चुकी है जिस कारण वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखना आवश्यक है अन्यथा आराजी के खुर्द बुर्द होने से अपूरनीय क्षति की संभावना दोनो पक्षों की होगी। अतः धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा से उभय पक्षकारान को पाबन्द किया किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सुनेल तहसील सुनेल राज0 की आराजी ख.नं. 3799/1926 रकबा 0.0379 हेक्टर भूमि मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल दावे के साथ संलग्न हो।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:15 IST
Reason: SelfAttested

COURT 2023

Scanned with OKEN Scanner